बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0–1/छात्रवृत्ति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक–06/2010– पटना, दिनांक–

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति) प्रदान करने हेतु कुल ₹34677.47 लाख (रूपये तीन अरब छियालिस करोड़ सतहत्तर लाख सैंतालिस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजना के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति हेतु बजट उपबन्ध के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–20 दिनांक–01.07.15 द्वारा कुल ₹92848.00 लाख (रूपये नौ अरब अठाईस करोड़ अड़तालिस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–0101–शिक्षा कूट संख्या–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा के अन्तर्गत प्राप्त बजट उपबंध के आलोक में उपबंधित राशि ₹34677.47 लाख (रूपये तीन अरब छियालिस करोड़ सतहत्तर लाख सैंतालिस हजार) मात्र की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277– शिक्षा–0101–शिक्षा कूट संख्या–3401–छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड P2225032770101 के राज्य योजना स्कीम कोड–BCW-5461 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– स्वीकृत राशि से वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित छात्र/छात्राओं में से अवशेष छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे।

5– विद्यालय छात्रवृत्ति मद में कुल स्वीकृत राशि की निकासी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा करने के उपरांत संपूर्ण जिले में विद्यालय के आवश्यकतानुसार राशि सीधे विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते में बैंक अंतरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि को लघुशीर्ष के अनुसार ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के लिए उपावंटन नहीं करना है। अतः उक्त मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष के अधीन स्वीकृत संपूर्ण राशि की निकासी कर जिला के अन्तर्गत सभी प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों की आवश्यकता के अनुसार राशि संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति/विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते में हस्तांतरित कर छात्रवृत्ति वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

6— संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561, दिनांक—17.04.1998 तथा समय—समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7— संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

8— निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी, 2016 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक—31.03.2016 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंक खाता / नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

9— विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण विभागीय संकल्प संख्या—53 दिनांक—12.11.2012 एवं पत्रांक—58 दिनांक—12.01.13 के आलोक में किया जायेगा।

10— उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पंर की जायेगी।

11— प्रस्ताव में माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

12— प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

ह0 / —
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—1 / छात्रवृत्ति—रा0यो0—प्री—मैट्रिक—06 / 2010 22 पटना, दिनांक—17-7-2015

प्रतिलिपि— विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाख), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी (खगड़िया एवं शिवहर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/7/2015
सरकार के सचिव।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति मद में स्वीकृत राशि की विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	पटना	1632.470
2	नालंदा	215.000
3	रोहतास	697.464
4	भभुआ	1106.000
5	भोजपुर	674.000
6	बक्सर	405.000
7	गया	2100.000
8	जहानाबाद	223.000
9	अरवल	223.000
10	नवादा	800.000
11	औरंगाबाद	1325.000
12	सारण	2275.080
13	सिवान	1208.290
14	गोपालगंज	587.000
15	मुजफ्फरपुर	1503.744
16	सीतामढ़ी	1190.550
17	प0 चम्पारण	1637.538
18	पू0 चम्पारण	1785.300
19	वैशाली	1400.000
20	दरभंगा	1150.000
21	मधुबनी	2209.431
22	समस्तीपुर	2215.158
23	सहरसा	1229.740
24	सुपौल	1155.600
25	मधेपुरा	100.000
26	पूर्णियाँ	270.000
27	अररिया	36.738
28	किशनगंज	102.078
29	कटिहार	496.000
30	भागलपुर	1479.996
31	बाँका	343.242
32	मुँगेर	171.000
33	लखीसराय	152.982
34	शेखपुरा	112.066
35	जमुई	981.780
36	बेगुसराय	1483.218
	कुल योग	34677.47

(रूपये तीन अरब छियालिस करोड़ सतहत्तर लाख सैंतालिस हजार) मात्र

पत्रांक– 22 दिनांक– 17-7-2015 का अनुलग्नक

सरकार के सचिव।

D:\harry\Allotment Dist. Wist(Harry)

Sheet103